

**कृषि ऋण के लिए ब्याज दर**  
**किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी):**

**(a) ब्याज अनुदान लाभ के तहत केसीसी:**

ऋण सीमा	कार्ड दर
₹ 3 लाख तक (फसल ऋण + पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए कार्यशील पूंजी ऋण सहित, अधिकतम सीमा ₹ 2 लाख तक)	7% (ब्याज अनुदान योजना पर आरबीआई दिशानिर्देशों / सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार)

\* बैंक की ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं में प्राप्त केसीसी ही ब्याज अनुदान लाभ के लिए पात्र होंगे।

**\* ब्याज अनुदान के बिना केसीसी:**

ऋण सीमा	कार्ड दर
₹ 25 लाख तक - एसएफएमएफ	एमसीएलआर (वर्ष) + 1.25%
₹ 25 लाख तक - गैर-एसएफएमएफ	

नोट:- (i) सभी समाप्त हो चुके केसीसी खातों पर गैर-अनुदान ब्याज दर लागू होगी

(ii) ब्याज अनुदान की गणना ऋण राशि पर संवितरण/आहरण की तिथि से लेकर किसान द्वारा ऋण की वास्तविक चुकौती की तिथि तक या बैंक द्वारा निर्धारित ऋण की देय तिथि तक, जो भी पहले हो, की जाएगी, जो अधिकतम एक वर्ष की अवधि के अधीन होगी।

**2.1 (i) केसीसी के अलावा अन्य ऋणों के लिए 25 लाख रुपये तक कृषि अग्रिम के रूप में अर्हता प्राप्त (डब्ल्यूसी/एसटीएल/टीएल के लिए सामान्य)**

विवरण	कार्ड दर
एसएफएमएफ के लिए	एमसीएलआर (वर्ष) + 1.00%
गैर-एसएफएमएफ के लिए - 70% से अधिक स्कोर	
गैर-एसएफएमएफ के लिए - 70% से स्कोर	एमसीएलआर (वर्ष) + 2.00%
For Non-individuals (other than NCF)	

**(ii) 25 लाख रुपये से अधिक और 2 करोड़ रुपये तक के कृषि ऋण के लिए कार्ड दर (डब्ल्यूसी/एसटीएल/टीएल के लिए सामान्य)**

3 महीने / 6 महीने / 1 वर्ष	
स्कोरिंग स्लैब (%)	कार्ड दर
95 एवं/ और अधिक	एमसीएलआर + 140 बीपीएस
80 से/to 94.99	एमसीएलआर + 230 बीपीएस
70 से/to 79.99	एमसीएलआर+ 315 बीपीएस
55 से/to 69.99	एमसीएलआर+ 405 बीपीएस
55 से कम/ 55 से कम	एमसीएलआर+ 515 बीपीएस

(iii) 2 करोड़ रुपये से अधिक के कृषि ऋण के लिए कार्ड दर (डबल्यूसी/एसटीएल/टीएल के लिए सामान्य)

3 महीने / 6 महीने / 1 वर्ष	
बाह्य / आंतरिक रेटिंग (उत्पाद स्कोरिंग %)	कार्ड दर
एएए (95 और अधिक)	एमसीएलआर+ 10 बीपीएस
एए (80 से 94.99)	एमसीएलआर + 15 बीपीएस
ए (70 से 79.99)	एमसीएलआर + 30 बीपीएस
बीबीबी / बिना रेटिंग (55 से 69.99)	एमसीएलआर+ 180 बीपीएस
बीबीबी से नीचे (55 से कम)	एमसीएलआर+ 370 बीपीएस

1.1 (i) पीएसएल-कृषि के अंतर्गत वर्गीकृत खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण इकाइयों को ऋण रु. 2 करोड़ रुपये तक के खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण के लिए कार्ड दर – सीजीटीएमएसई के अंतर्गत कवर नहीं

स्कोरिंग रेटिंग स्लैब / स्कोरिंग	कार्ड दर
एएए (95 और अधिक)	रेपो+280 बीपीएस
एए (80 से 94.99)	रेपो + 405 बीपीएस
ए (70 से 79.99)	रेपो+ 460 बीपीएस
बीबीबी / बिना रेटिंग (स्कोर 55 से 69.99)	रेपो + 620 बीपीएस
बीबीबी से नीचे (स्कोर 55 से कम)	रेपो+ 820 बीपीएस

(ii) रु. 2 करोड़ रुपये के लिए अधिक खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण के लिए कार्ड दर - सीजीटीएमएसई के अंतर्गत कवर नहीं

स्कोरिंग	
रेटिंग स्लैब / स्कोरिंग	कार्ड दर
एएए (स्कोर 95 और उससे अधिक)	रेपो+280 बीपीएस
एए (स्कोर 80 से 94.99)	रेपो+285 बीपीएस
ए (स्कोर 70 से 79.99)	रेपो+290 बीपीएस
बीबीबी / बिना रेटिंग (स्कोर 55 से 69.99)	रेपो+410 बीपीएस
बीबीबी से नीचे (55 से कम)	रेपो+595 बीपीएस

(iii) खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण इकाइयों के लिए कार्ड दर – सीजीटीएमएसई के अंतर्गत कवर किया गया

स्कोरिंग	
रेटिंग स्लैब / स्कोरिंग	कार्ड दर
एएए (स्कोर 95 और उससे अधिक)	रेपो+280 बीपीएस
एए (स्कोर 80 से 94.99)	रेपो+355 बीपीएस
ए (स्कोर 70 से 79.99)	रेपो+400 बीपीएस
बीबीबी / बिना रेटिंग (स्कोर 55 से 69.99)	रेपो+535 बीपीएस
बीबीबी से नीचे (स्कोर 55 से कम)	रेपो +725 बीपीएस

3. कृषि संरचना निधि के अंतर्गत ऋण के लिए कार्ड दर

ऋण सीमा	ब्याज दर
रु. 2 करोड़ रुपये तक	एमसीएलआर (एच) + 1.00% (9.80%) या 9% जो भी कम हो
रु. 2 करोड़ रुपये से अधिक	एमसीएलआर (वर्ष) + 1.00%

4. गोदाम रसीद ऋण के लिए कार्ड दर

(i) डब्ल्यूडीआरए मान्यता प्राप्त गोदामों द्वारा जारी एनडब्ल्यूआर/ई-एनडब्ल्यूआर के प्रति आईडीबीआई बैंक के साथ केसीसी सीमा वाले एसएफएमएफ को वित्त:

ऋण सीमा	ब्याज दर
3 लाख रुपये तक	7%* (आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार)

\* किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसानों को फसल कटाई के बाद छह महीने तक की अवधि के लिए ब्याज अनुदान योजना के तहत लाभ मिलेगा, जो आरबीआई/भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अधीन परक्राम्य गोदाम रसीदों पर दिया जाएगा.

(ii) व्यक्तिगत किसानों को गोदाम रसीदों (डबल्यूएचआर) के प्रति वित्त पोषण:

ऋण सीमा	कार्ड दर
(i) एनडब्ल्यूआर/ई-एनडब्ल्यूआर के लिए 75 लाख रुपये तक	(i) ई-एनडब्ल्यूआर के प्रति : एमसीएलआर (वर्ष)
(ii) एनडब्ल्यूआर/ई-एनडब्ल्यूआर के अलावा डबल्यूएचआर के लिए 50 लाख रुपये तक	(ii) अन्य: एमसीएलआर (वर्ष) + 0.10%

(i) उपरोक्त बिंदु (i) और (ii) के अलावा एनएसआरए-कृषि गोदाम ऋण:

रेटिंग	कार्ड दर (*)
ए / 80% से अधिक 94.99% तक स्कोर के समान	आरएलएलआर + 0.10%
बीबीबी / 60% से 79.99% तक के स्कोर के समान	आरएलएलआर + 0.20%
बी.बी. / 55% से अधिक 59.99% तक के स्कोर के समान (सहायता केवल eNWR के लिए होगी)	आरएलएलआर + 0.80%

(\*) यदि वास्तविक रूप से लागू हो तो संपार्श्विक प्रबंधन शुल्क अलग से वसूला जाएगा

(i) गोदाम रसीदों (डबल्यूएफआर) ऋणों के लिए वित्त पोषण - व्यापारियों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई):

रेटिंग	कार्ड दर (*)
एए और उससे अधिक / 95% और उससे अधिक स्कोर के समान	आरएलएलआर + 0.10%

रेटिंग	कार्ड दर (*)
ए / 80% से अधिक और 94.99% तक स्कोर के समान	आरएलएलआर+ 0.20%
बीबीबी / 60% से 79.99% तक के स्कोर के समान	आरएलएलआर+ 0.30%
बीबीबी / 55% से अधिक और 59.99% तक के स्कोर के समान (सहायता केवल ई-एनडब्ल्यूआर के लिए होगी )	आरएलएलआर+ 0.90%

(\*) संपार्श्विक प्रबंधन शुल्क, यदि लागू हो, तो वास्तविक रूप से अलग से वसूल किया जाएगा

#### 5. सूक्ष्म ऋणों पर ब्याज दरें

विवरण	न्यूनतम ब्याज दर	
शाखा चैनल के माध्यम से (केवल सरकारी प्रायोजित योजनाओं के लिए)	एमसीएलआर (वर्ष) + 1.75%	
कॉर्पोरेट बीसी चैनल के माध्यम से	8.75% से 14% + बीसी कमीशन वर्तमान में, न्यूनतम: 13.75 % (बीसी कमीशन सहित) अधिकतम : 25% (बीसी कमीशन सहित)	
एनआरएलएम योजना के तहत सूक्ष्म ऋण	रु. 3.00 लाख तक के ऋण के लिए	7.00% प्रति वर्ष/p.a.
	रु. 3.00 लाख से अधिक और रु. 5.00 लाख रुपये तक के ऋण के लिए	एमसीएलआर (वर्ष) या 10% प्रति वर्ष, जो भी कम हो
	रु. 5.00 लाख से अधिक के ऋण के लिए	एमसीएलआर (वर्ष) +1.75% प्रति वर्ष